7 (4) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उन कर्मचारियों, जो किसी एक उपक्रम से दूसरे उपक्रम/सरकार में कार्यग्रहण करने के लिए एक उपक्रम की सेवा छोड़ देते हैं, के संबंध में बंधपत्र (बाण्ड) को लागू/अंतरण करना

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 13.6.1977 और 23.5.1981 के का.ज्ञा. सं. बी पी ई/जी एल–017/77/एम ए एन 2(11)/75– बी पी ई (जी एम–I) और दिनांक 5.2.1985 के सं. 17/20/84–जी एम का हवाला देने का निदेश हुआ है।जिनका इस विभाग के दिनांक 10 दिसंबर, 1997 के का.ज्ञा. सं. 20(5)/95– डी पी ई (जी एम) द्वारा विलोपन कर दिया गया था। इन दिशानिर्देशों के विलोपन के बाद, लोक उद्यम विभाग ने कई स्थानों से इन दिशानिर्देशों को बहाल करने के संदर्भ प्राप्त किए ताकि वे केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों में पदभार ग्रहण करने वाले सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के मामले में बाण्ड को लागू करने/अंतरण को नियमित करने में समर्थ हो सकें। इस स्थिति की समीक्षा की गई है और ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद निम्नलिखित आशोधनों के साथ इस विभाग के दिनांक 13.6.1977, 23.5. 1981 और 5.2.1985 के कार्यालय ज्ञापनों को बहाल करने का निर्णय लिया गया है:

(क) लोक उद्यमों के उन कर्मचारियों, जिन्होंने सरकारी उद्यमों की लागत पर वैज्ञानिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, द्वारा निष्पादित बाण्ड और उचित माध्यम से आवेदन दिया है, बाण्ड चालू रहने के दौरान केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की सेवाओं में पदभार ग्रहण करते हैं अथवा अर्ध–सरकारी संगठनों या अन्य किसी सरकारी उद्यम में उन संगठनों अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं/साक्षात्कारों के आधार पर रोजगार प्राप्त करते हैं, पर इस शर्त के अध्यधीन कि नया बाण्ड यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता है कि कर्मचारी शेष मूल बाण्ड अवधि के लिए नए नियोक्ता की सेवा में रहता है, यह लागू नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) बाण्ड की शर्तें, जिसके द्वारा सरकारी उद्यमों के व्यय पर वैज्ञानिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा केन्द्रीय सरकारी उद्यम का कोई कर्मचारी अपने प्रशिक्षण पूरा होने के बाद निर्दिष्ट अवधि के लिए उद्यम में कार्य करने में अपनी असमर्थता की दशा में निर्दिष्ट की वापसी का वचन देता है, उस कर्मचारी पर लागू नहीं की जानी चाहिए जो उचित अनुमति से केन्द्र सरकार, किसी सरकारी उद्यम अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः स्वामित्व/वित्तपोषित/नियंत्रित किसी स्वायत्त निकाय में रोजगार प्राप्त करने के लिए सरकारी उद्यम की सेवा छोड़ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह शेष मूल अवधि के लिए नए नियोक्ता की सेवा करता है, संबंधित व्यक्ति से एक नया बाण्ड लिया जाना चाहिए।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां आवश्यक हो, किसी व्यक्ति से नया बाण्ड प्राप्त करने की शर्त पूरी की जाती है, उद्यम जिसके साथ कर्मचारी ने मूल बाण्ड निष्पादित किया है, उसका आवेदन अग्रेषित करते समय उस संगठन आदि, जिसके अधीन कर्मचारी दूसरी नियुक्त पर कार्यग्रहण करना चाहता है, को व्यक्ति के बाण्ड संबंधी दायित्व की उन्हें सूचना देते हुए और यह स्पष्ट करते हुए कि नए पद पर उसके चयन के मामले में उसकी कार्यमुक्ति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि तथा संगठन उससे शेष मूल बाण्ड अवधि के लिए उतनी सेवा करने हेतु उससे नया बाण्ड लेता है, को लिख सकता है, अगर वह नए विभाग/संगठन आदि की सेवा करने में विफल रहता है अथवा किसी ऐसी नियुक्ति जहाँ बाण्ड के दायित्व से छूट उपलब्ध नहीं है, के लिए मूल बाण्ड अवधि पूरी होने के पूर्व से छोड़ देता है तो व्यक्ति से समानुपातिक बाण्ड राशि वसूल की जाएगी और उस पहले संगठन, जिसके साथ उसने मूल रूप से बाण्ड निष्पादित किया था, को वापस की जाएगी।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से कृपया अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों को तदनुसार आवश्यक अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया जाता है।

(लो.उ.वि. का 29 जुलाई, 2004 का का.ज्ञा. सं. 15(2)/2003– डी पी ई (जीएम/जी एल–57)